हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
“सामान्य प्रशासन शाखा”

....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की वर्ष, 2012 की द्वितीय बैठक की कार्यवाही जो दिनांक 29 मार्च, 2012 को दोपहर 12–00 बजे आचार्य ए0डी0एन0 वाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित उपस्थित हुए :–

1– डॉ0 ओ0पी0 शर्मा
2– प्रो0 ओ0पी0 चौहान
3– प्रो0 श्रीराम शर्मा
4– डॉ0 बी0एल0 विन्टा
5– डॉ0(श्रीमती) उमा वर्मा
6– प्रो0 सुरेश कुमार
7– श्री कृपाल परमार
8– चौ0 वरयाम सिंह बैन्स
9– सुरेश भारद्वाज
10– डॉ0 धनी राम शर्मा
11– श्री एन0एस0 बिष्ट
12– डॉ0 के0पी0 ठाकुर
13– श्री सी0पी0 वर्मा –कुलसचिव

सदस्य–सचिव

मद संख्याः1 : कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

.....

कार्यकारिणी परिषद की वर्ष 2012 की द्वितीय नियमित बैठक में, मैं आप सब सम्माननीय सदस्यों का स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ ।

डॉ(श्रीमती) आभा मल्हौत्रा, सह–आचार्य का कार्यकारिणी परिषद में कार्यकाल इस माह समाप्त हो चुका है । इनका कार्यकारिणी परिषद में निर्णय लेने की प्रकिया में महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसके लिए मैं अपनी और परिषद की ओर से इनका आभार व्यक्त करता हूँ ।

श्री कृपाल परमार का प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, श्री सुरेश भारद्वाज व डॉ0 धनी राम शर्मा का कुलाधिपति के प्रतिनिधि के रूप में दोबारा से नामित होने पर और डॉ0 के0पी0 ठाकुर, सह–आचार्य की हैसियत से कार्यकारिणी परिषद में नामित होने पर मैं इन सभी सम्माननीय सदस्यों का परिषद की इस बैठक में हार्दिक अभिनन्दन करता हूॅं और आशा करता हूॅं कि वे अपने शैक्षणिक व प्रशासनिक अनुभव से कार्यकारिणी परिषद को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपना पूर्ण योगदान देंगे ।

मै हिमाचल प्रदेश सरकार विशेष रूप से माननीय मुख्यमन्त्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा जिनके मार्ग दर्शन एवं दूरदर्शी सोच से विश्वविद्यालय निरन्तर आगे बढ़ रहा है व इस वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को 13 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुदान देकर कुल 63 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान करने के लिए मैं सम्पूर्ण विश्वविद्यालय समुदाय की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूॅं और आशा करता हूॅं कि भविष्य में भी उनका आशीर्वाद विश्वविद्यालय पर इसी प्रकार बना रहेगा । मैं कुशल वित्तीय प्रबन्धन और बढ़िया बजट प्रस्ताव बनाने के लिए विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी श्री आर0 के0 वर्मा के प्रयासों की भी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से प्रशंसा करता हूॅं ।

इस अवधि के दौरान 14–15 मार्च को **'मीडिया और विकलांगता'** विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला अन्तर्राष्ट्रीय दूवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र द्वारा आयोजित की गई । 20–24 मार्च को विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन एवं विकास केन्द्र द्वारा पॉच दिवसीय **'उच्च शिक्षा में महिला प्रबन्धकों की भूमिका'** विषय पर कार्यशाला आयोजित की । विश्वविद्यालय के अम्बेदकर पीठ द्वारा 22 मार्च को **'असन्तुलित विश्व और भारत की भूमिका'** विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया जिसमें मुख्य भाषण पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला की गुरू तेगबहादुर राष्ट्रीय एकता पीठ के अध्यक्ष प्रो0 बलतेज सिंह मान ने दिया । 27–28 मार्च को गणित एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा **'बीज गणित'** विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई ।

5–7 मार्च, 2012 को अकादमिक स्टॉफ कॉलेज में नैक की टीम द्वारा मूल्यांकन हेतु दौरा किया गया तथा कॉलेज की गतिविधियों को सराहा । एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान की कार्यकारिणी समिति की 21वीं बैठक 20 मार्च, 2012 को हुई जिसमें संस्थान में हुए अकादमिक कार्यों की समीक्षा की गई । विश्वविद्यालय कुलपति को 12–19 मार्च, 2012 को ब्रिटिश काउंसिल द्वारा लंदन इंग्लैंड में निमन्त्रित किया गया तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लंदन द्वारा विशेष व्याख्यान माला के लिए आमन्त्रित किया गया था ।

समय–समय पर छात्रों से जीवन्त सम्पर्क हेतु विभिन्न विभागों की कक्षाओं में विशेष व्याख्यान देना आरम्भ किया जिसमें संस्कृत, वाणिज्य, प्रबन्धन, अर्थशास्त्र और संगीत शामिल है । विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टॉफ कॉलेज में उन्मुखी कार्यक्रम तथा भूगोल विभाग के पुनश्चर्या कार्यक्रम में **'आध्यात्मिकता एवं भूगोल'** विषय पर विशेष व्याख्यान दिया ।

मैं परिषद को अवगत करवाना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय की स्नातक कक्षाओं की परीक्षाएं 15 मार्च, 2012 से प्रारम्भ हो चुकी हैं और प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर सभी परीक्षा केन्द्रों में यह परीक्षाएं शान्तिपूर्ण ढंग से आयोजित करवाई जा रही हैं मै परिषद के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि राजकीय कन्या महाविद्यालय, शिमला में नकल का एक मामला सामने आया है जिसकी जॉच करवाई जा रही है और जॉच रिपोर्ट आने के बाद इस पर अगली कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

मैं परिषद को यह भी बताना चाहता हूँ कि नवम्बर, 2011 में आयोजित स्नातकोत्तर परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया प्रगति पर है और अगले महीने सभी स्नातकोत्तर परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे ।

अब मैं कुलसचिव महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि वे बैठक की कार्यसूची परिषद के समक्ष प्रस्तुत करें ।

मद संख्या :2 : कार्यकारिणी परिषद की पिछली बैठकों दिनांक 1–01–2012,14–2–2012 तथा 22–2–2012 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने पिछली बैठकों दिनांक 31–01–2012, 14–2–2012 तथा 22–2–2012 में लिए गए निर्णयों को निम्नलिखित टिप्पणी के साथ अनुमोदित
किया :–

दिनांक 14–02–2012 :

(अन्य मद–3) : माननीय सदस्य श्री एन0एस0 विष्ट ने कहा कि स्नातकोत्तर छात्रों को अपनी प्रतिशतता 55 या 60 प्रतिशत सुधारने के लिए दो अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाएं । यह दो अवसर इस वर्ष जून व नवम्बर, 2012 के समैस्टर परीक्षा में दिये जाएं । यह निर्णय सभी स्नातकोत्तर कक्षाओं (कला, वाणिज्य, विज्ञान, शिक्षा, प्रबन्धन एवं शारीरिक शिक्षा) के लिए लागू किया जाये । यह निर्णय 2001 के बाद के विद्यार्थियों को दिया जाए । जिस पर परिषद ने नये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रति समैस्टर 5000/– रूपये के शुल्क के साथ दो विशेष अवसर प्रदान किए जाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की (जून, 2012 एवं नवम्बर, 2012) ।

मद संख्या :3 : कार्यकारिणी परिषद की बैठकों दिनांक 31–01–2012 14–2–2012 तथा 22–2–2012 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही का विवरण ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने दिनांक 31–01–2012 14–2–2012 तथा 22–2–2012 को हुई बैठकों में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही को नोट कर अनुमोदित किया ।

मद संख्याः 4 : कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–12 –सी (7) के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों से अवगत करवाना ।

......

उपरोक्त शक्ति के अन्तर्गत कुलपति महोदय ने कोई कार्यवाही नहीं की है ।

मद संख्या : 5 : कार्यकारिणी परिषद के माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है ।

......

श्री एन0एस0 विष्ट माननीय सदस्य से एक मद प्राप्त हुई थी जिस पर निर्णय मद संख्या–18 के अन्तर्गत देखा जाए ।

मद संख्या : 6 : CORPUS FUND तथा CPS भविष्यनिधि की जमा राशि SBI के MUTUAL FUND में निवेश के मामले की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट कार्यकारिणी परिषद के सन्मुख अध्ययन एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट पर विस्तार से विचार–विमर्श किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई है तथा किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता । अतः परिषद ने वित्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकृत किया । आगे परिषद ने यह निर्णय लिया कि भविष्य में कोई भी निवेश म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में न किया जाए ।

मद संख्या : 7 : श्री पी0एन0 भारद्वाज उप कुलसचिव (सेवानिवृत) के पक्ष में कार्यकारिणी परिषद की दिनांक 24–02–2007 की बैइक के प्रस्ताव संख्या–9 के निर्णयानुसाार आयकर विभाग द्वारा लगाई गई 33,578/– रूपये ब्याज के रूप में राशि वसूलने के पुनर्विचार एवं निर्णय को वापिस लेने बारे ब्यौरा कार्यकारिणी परिषद की आगामी बैठक में रखने हेतु ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने गहन विचार–विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि क्योंकि इसमें दो सेवानिवृत अधिकारियों सर्वश्री के0पी0 डोगर तथा पी0एन0 भारद्वाज तत्कालीन उप कुलसचिव (गोपनीयता) पर स्त्रोत पर काटे जाने बाले कर का उत्तरदायित्व बनता है अतः 33,578/– रूपये की वसूली उनके कार्य की समय अवधि के अनुपात में निर्धारित कर की जाए ।

मद संख्या : 8: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विश्वविद्यालय में हरवंश लाल कैलाश चन्द्र स्मारक न्यास बनाने के लिए विश्वविद्यालय अध्यादेश में सन्निवेश करने हेतु ।

....

कार्यकारिणी परिषद ने संलग्नक के अनुरूप न्यास तथा पीठें स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की, और इस हेतु सभी आवश्यक औपचारिकताओं का अनुपालन निश्चित समयावधि के अन्तर्गत करना सुनिश्चित करें । आगे परिषद ने 1.05 करोड़ तथा 50 लाख रूपये की राशि प्रदान करने के लिए श्री राहुल शर्मा का धन्यवाद किया और यह भी निर्णय लिया कि श्री राहुल शर्मा तथा इनके परिवार के सदस्यों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया जाए ।

मद संख्या : 9 : कार्यकारिणी परिषद के समक्ष नवम्बर, 2011 के बाद घोषित परीक्षा परिणामों का विवरण ।

......

नोट कर अनुमोदित किया ।

मद संख्या :10 : कार्यकारिणी परिषद की दिनांक 31–01–2012 को हुई बैठक में मद संख्या–13 के तहत अध्यापक कल्याण निधि का ब्यौरा रखा गया था जिसे कार्यकारिणी परिषद ने अनुमोदित कर दिया और यह भी निर्णय लिया कि अध्यापक कल्याण निधि से दी गई राशि प्रदान करने की तारीखें भी दर्शायी जायें । अतः अध्यापक कल्याण निधि से जारी की गई राशि को तारीखें नीचे दिये गये लाभार्थियों के नाम के सामने दर्शाई गई हैं । मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

......

नोट कर अनुमोदित किया । श्री कृपाल परमार तथा डॉ0 धनी राम शर्मा तथा चौ0 वरयाम सिंह बैन्स ने कहा कि यदि चण्डीगढ़ में अतिथि गृह बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं होती है तो मोहाली या परवाणु के आस–पास भूमि का चयन किया जाए । इस पर परिषद ने आगे निर्णय लिया कि डॉ0 बी0एल0 विन्टा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए जो अतिथि गृह बनाने के लिए जगह तलाश करे ।

मद संख्या:11 : कार्यकारिणी परिषद के समक्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वित्त विभाग के लेखों को **Tally Solution Software** पर (कम्प्यूट्रीकरण)से वित्तीय वर्ष 2008 से आगे के कार्य के लिए समय विस्तार के अनुमोदन हेतु ।

....

अनुमोदित ।

मद संख्या :12 : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा स्थित केन्द्रीय विज्ञान कार्यशाला में श्री राजिन्द्र सिंह तकनीशियन को केन्द्रीय विज्ञान कार्यशाला मे ंखाली पड़े तकनीशियन ग्रेड–।। (द्वितीय) के पद पर अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त करने बारे ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने श्री राजिन्द्र सिंह तकनीशियन का मासिक वेतन (Fixed Salary) 10,000/– रूपये से बढ़ाकर 15,000/– रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया । इसके अतिरिक्त परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति हेतु इसका परीक्षण किया जाए ।

मद संख्या:13: हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन नियम (सामान्य पूल) 1994 के नियम–13 में दिए गए प्रावधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने हिमाचल प्रदेश सरकार आवास आबंटन नियम (सामान्य पूल) 1994 के नियम–13(2) के प्रावधान में संशोधन पर गहन विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया कि क्योंकि विश्वविद्यालय के शिक्षक/गैर–शिक्षक कर्मचारियों को विश्वविद्यालय के कार्य से लम्बे समय के लिए बाहर जाना पड़ता है और प्रार्थी निश्चित अवधि के भीतर आवास परिवर्तन (change) हेतु आवेदन नहीं कर पाते । अतः परिषद ने निर्णय लिया कि शिक्षक/गैर–शिक्षक कर्मचारियों का आवास परिवर्तन आवेदन की तिथि के स्थान पर उनकी वरिष्ठता के आधार पर किया जाए । चौ0 वरयाम सिंह बैन्स ने परिषद के इस निर्णय का समर्थन किया ।

मद संख्या :14 : शैक्षणिक परिषद की बैठक दिनांक 24–11–2011 में मद संख्या 26 व 29 के द्वारा अनुमोदित अध्यादेश के संशोधन कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत हैं ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने शैक्षणिक परिषद की बैठक दिनांक 24–11–2011 में मद संख्या 26 व 29 की सिफारिशों को संलग्न के अनुरूप अनुमोदित किया ।

मद संख्या :15 : कार्यकारिणी परिषद के समक्ष हिमाचल प्रदेश निजी विश्वविद्यालयों के प्रबन्धन एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा करवाने हेतु समिति की बैठक दिनांक 24–3–2012 की कार्यवाही अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने निजी विश्वविद्यालयों के प्रबन्धन एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर विस्तार से चर्चा की । श्री कृपाल परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों को प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम–2006 के अन्तर्गत मान्यता दे रखी है । इसके अतिरिक्त इन विश्वविद्यालयों द्वारा चलाये गये पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय के समकक्ष नहीं है और इन द्वारा चलाये गए कई कोर्सों की गुणवता भी इस विश्वविद्यालय से कम है । उन्होंने यह भी कहा कि निजी विश्वविद्यालय प्रदेश विश्वविद्यालय का नाम प्रयोग कर छात्रों का शोषण करेंगे । जिससे इस विश्वविद्यालय की छवि धूमिल होगी । श्री परमार के सुझाव का सभी सम्माननीय सदस्यों ने पूरा समर्थन किया । इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी ज्ञापन सौंप कर निजी विश्वविद्यालयों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवाने का विरोध किया । इसके उपरान्त परिषद ने निजी विश्वविद्यालयों के प्रबन्धन एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करवाने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया ।

मद संख्या :16: कार्यकारिणी परिषद के समक्ष सी.ए.एस. पुराने नियमों के अन्तर्गत अध्यापकों की पदोन्नति हेतु चयन समिति की सिफारिशें प्रस्तुत करने बारे ।

.....

सभापति ने चयन समिति की सिफारिशों को परिषद में पढ़ कर

सुनाया । सिफारिशें निम्न प्रकार से हैं :—

<u>सी.ए.एस. के अंतर्गत आचार्य, वाणिज्य विभाग (इक्डोल)</u>
डॉ0 विजय कुमार कौशल को सी.ए.एस. के अंतर्गत देय तिथि से पदोन्नति हेतु सिफारिश की गई ।

<u>सी.ए.एस. के अंतर्गत आचार्य, योगा विभाग</u>
डॉ0 रीता भल्ला को सी.ए.एस. के अंतर्गत देय तिथि से पदोन्नति हेतु सिफारिश की गई ।

इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी परिषद में सभापति ने मौके पर भौतिकी विज्ञान विभाग में आचार्यों की सीधी भर्ती हेतु 1 मार्च, 2011 को हुयें साक्षात्कार के चयन समिति की सिफारिशों को निम्नलिखित योग्यता क्रम के अनुसार पढ़ कर सुनाया :—

1. डॉ0 नागेश ठाकुर
2. डॉ0 नैनजीत सिंह
3. डॉ0 वीर सिंह

क्योंकि डॉ0 नैनजीत सिंह पूर्व में आचार्य पद पर नियुक्त हो चुके हैं अतः कार्यकारिणी परिषद ने डॉ0 नागेश ठाकुर और डॉ0 वीर सिंह को भौतिकी विज्ञान विभाग में नियुक्ति हेतु अनुमोदित किया साथ ही यह भी निर्णय लिया कि वर्तमान में परस्पर वरिष्ठताक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

कार्यकारिणी परिषद ने सर्वसम्मति से चयन समिति की उपरोक्त सिफारिशों का अनुमोदन किया ।

<u>मद संख्या : 17</u> : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रशासनिक व लिपिक वर्ग के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करने बारे व कनिष्ठ संपादक के पद को उप संपादक के पद में परिवर्तन करने बारे मामला कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत है ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने कनिष्ठ संपादक के पद का नाम पदधित (change of nomenclature)कर उप संपादक में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की । इसके अतिरिक्त परिषद ने विश्वविद्यालय में प्रदेश सरकार के उप संपादक, सह–संपादक व सम्पादक के भर्ती एवं पदोन्नति नियम जो 18–02–2012 को लागू करने के

लिए अपनाया है के आधार पर विश्वविद्यालय के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निम्नलिखित संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की :—

Approved Amendments

RULE-6 – METHOD OF APPOINTMENT

SUB EDITOR :- 100% by direct recruitment.

Assistant Editor & Editor :- 100% by promotion.

RULE – 10 EDUCATIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATIONS OF CANDIDATES :

(xxiv-b) SUB EDITOR

(A) ESSENTIAL QUALIFICATION :

(i) Graduation Degree from any recognized University;
(ii) Degree or Diploma in Journalism or Public Relations from an University/ Institution recognized by the H.P. Government or Central Government

(B) DESIRABLE QUALIFICATION:
(i) Experience of three years in Journalism in any recognized newspaper/magazines (Journals). (ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh.

xxiv-c) ASSISTANT EDITOR:-
(A) ESSENTIAL QUALIFICATION:
(i) Should possess a Bachelor or its equivalent degree from University recognized by the Himachal Pradesh/ Central Government.
(ii)Diploma in Journalism from an Institution/ University recognized by the H.P. / Central Government.
(iii) Experience of two years in Journalism in any national level news paper or in Public Relation / Information Department of State or Central Government.

(B) DESIRABLE: Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh.

(xxv) EDITOR :-
(A) ESSENTIAL QUALIFICATION:
(i) Should possess Bachelor degree from any recognized Institution/ University.
(ii) Should possess a Diploma in Journalism recognized from an Institution/ University.
(iii) Three years' experience in Journalism.

(B) DESIRABLE : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh.

RULE-14 : CONDITIONS FOR PROMOTION :

14.6.a : ASSISTANT EDITOR	
(i) Minimum length of approved service.	Five years.

(ii) Quality of approved service.	Three atleast good reports during the preceding three years.
(iii) Field of Choice.	Sub-Editor.

14.6-b:EDITOR:

(i) Minimum length of approved Service.	Three years service as Assistant Editor. OR Eight years combined service as Assistant Editor/Sub-Editor.
(ii) Quality of approved service.	Three atleast good reports during the preceding three years.
(iii) Field of choice.	Assistant Editor.

मद संख्या : 18 : कार्यकारिणी परिषद की बैठक 16–2–2001 की मद संख्या 10(6) के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के स्पष्टीकरण हेतु ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने निर्णय लिया कि जिस दिन से डॉ0 पुरूषोतम भारद्वाज प्रवक्ता की शैक्षणिक/अन्य योग्यताओं को पूर्ण करते हैं उस दिन से ही उन्हें प्रवक्ता समझा जाये ।और परिणामस्वरूप उनको देय लाभ उसी तिथि से मान्य होंगे ।

मद संख्या : 19 : कार्यकारिणी परिषद की बैठक दिनांक 29–8–2009 की मद संख्या 13(19) के अन्तर्गत एम0पी0एड0 के बारे लिए गए निर्णय के बारे में अवगरत करवाना ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने विस्तार से चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि क्योंकि अब एम0पी0एड0 कोर्स के लिए एन0सी0टी0ई0 के नियमों में संशोधन हो चुका है इसलिए एम0पी0एड0 कोर्स प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक प्रकिया दोबारा से शुरू की जाए ।

मद संख्या : 20 : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के परिनियम की धारा 14 (i)(3) अन्तर्गत वित्त समिति के लिए एक सदस्य को मनोनीत करना ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने विश्वविद्यालय परिनियम की धारा 14 (i)(3) के अन्तर्गत श्री सुरेश भारद्वाज को वित्त समिति में मनोनीत किया ।

मद संख्या : 21 : कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र में वर्तमान और नए पाठ्यक्रमों एवं फीस की संरचना बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र में प्रस्तावित संशोधित फीस बृद्धि के प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया । तथापि परिषद ने संलग्नक के अनुरूप सात नये पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र में शुरू करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या : 22 : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत किया जाता है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद ने वित्त समिति की दिनांक 28–03–2012 को हुई बैठक की सिफारिशों को संलग्नक के अनुरूप अनुमोदित किया ।

मद संख्या :23 : विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद द्वारा विज्ञापन देने हेतु बनाए गए रोस्टर (सूची) में शामिल इंगलिश के दो अतिरिक्त समाचार पत्रों को सम्मिलित करने के लिए कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु ।

......

कार्यकारिणी परिषद ने अंग्रजी के दो समाचार पत्रों 1) डेली पोस्ट और 2) मेल टूडे को विज्ञापन देने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए रोस्टर में सम्मिलित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की ।

अन्य मदें :–

कुलसचिव महोदय ने परिषद को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय के छात्रावासों में कार्यरत मैस–हैल्परों को समय पर वेतन प्रदान करने में कठिनाई आ रही है । अतः विभिन्न छात्रावासों में कार्यरत मैस–हैल्परों को विश्वविद्यालय आकस्मिक व्यय (Contingency) से वेतन प्रदान करने की अनुमति दी जाए जिसे परिषद ने इस शर्त के साथ अपनी स्वीकृति प्रदान की कि मैस–हैल्पर विश्वविद्यालय की मुख्य स्थापना में नियमित होने के लिए दावा नहीं करेंगे ।

श्री सुरेश भारद्वाज

माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज ने कार्यकारिणी परिषद के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि वर्ष 2001 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को भी इम्प्रूवमैंट करने के लिए विशेष अवसर प्रदान किया जाए । श्री भारद्वाज के इस प्रस्ताव का श्री एन0एस0 बिष्ट ने पूरा समर्थन किया । इस पर परिषद ने निर्णय लिया कि वर्ष
2001 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को भी इम्प्रूवमैंट करने के लिए नये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत रूपये 5,000/– प्रति समैस्टर के हिसाव से दो विशेष अवसर प्रदान किये जाएं ।

श्री सुरेश कुमार

माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केन्द्र में ब्लड एनालाइजर की मशीन स्थापति कर रखी है लेकिन उसे चलाने के लिए कोई भी प्रशिक्षित व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया है । इस पर माननीय कुलपति महोदय ने आश्वासन दिया कि इस पर नियुक्ति करने हेतु पद सृजन करने के लिए मामला वित्त समिति के समक्ष रखा जाएगा ।

श्री एन0एस0 बिष्ट

माननीय सदस्य श्री एन0एस0 बिष्ट ने विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोग्रामर का मामला परिषद के समक्ष उठाया जिस पर परिषद ने निर्णय लिया कि इसका परीक्षण करने के पश्चात इसे परिषद के सम्मुख रखा जाए । उन्होंने यह भी कहा कि पुस्तकालय भवन के समीप कई साल पहले बनाए गए वाटर हारवैस्टिंग टैंक के पानी का प्रयोग पुस्तकालय भवन और अन्य कहीं प्रयोग हो रहा है या नही, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए । इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि यू0जी0सी0 और शहर एवं नगर विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय के सभी भवनों में वाटर हारवैस्टिंग का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

चौ0 वरयाम सिंह बैन्स

माननीय सदस्य चौ0 वरयाम सिंह बैन्स ने कहा कि विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल में एक अध्यापिका तथा चौकीदार जो पहले से कार्यरत हैं और 8 वर्ष का कार्यकाल भी पूर्ण कर चुके हैं के लिए पदों का सृजन कर उन्हें नियमित किया जाए । इस पर कुलपति महोदय ने आश्वासन दिया कि पदों के सृजन हेतु मामला वित्त समिति के समक्ष रखा जाएगा ।

बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।

(सी0पी0 वर्मा)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण

हस्ता0/–
(आचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी)
कुलपति/सभापति